न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 12/2021 निर्णय दिनांक :– 23.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

शिवशक्ति ग्रामीण विकास संस्थान उम तहसील व जिला टोंक राज0 जरिये सचिव धर्मराज नागर पुत्र प्रहलाद नागर जाति नागर निवासी नगर तहसील दूनी जिला टोंक।

–प्रार्थीया–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर, टोंक।
3. मनीषा पुत्री कालू जाति कुम्हार प्रजापति निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. शिमला पुत्री कालू जाति कुम्हार प्रजापति निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.
5. सांवली पत्नि कालू जाति कुम्हार प्रजापति निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि की खातेदारी की जमीन ख0नं0 1709 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1711 रकबा 0.92 है0, किता 2 रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम नगर तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त अराजीयात शिवशक्ति विकास ग्रामीण संस्थान के नाम रजिस्टर्ड है और उक्त संस्था का पंजीयन हो रखा है। आवेदक की खातेदारी के खेतो में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक

रास्ता नही है जिसके कारण आवेदक को अपने खातेदारी के खेतो में खेती संबंधित सामान ट्रेक्टर, हल, कुल, बैल, लाने–ले जाने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य लोगो के खेतो में होकर बड़ी मुश्किल से आवेदक अपने खेती संबंधित सामान ट्रेक्टर, बेल, गाड़ी आदि को ले जा रहा है। इस कारण आवेदक को अपने खेतो में जाने के लिए 30 फिट चौड़े रास्ते की सख्त आवश्यकता है। ख0नं9 1703/2547 वर्तमान मे सिवायचक है तथा ख0नं0 1704 व ख0नं0 1705 वर्तमान में प्रतिवादी सं0 3 ता 5 की खातेदारी में है, प्रार्थी उक्त तीनों ख0नं0 नम्बरान मे होकर अपनी खातेदारी के खेतो मे आने–जाने के लिए 30 फिट चौड़ा रास्ता चाहता है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से अक्षर एबीसीडी से दर्शाया गया है उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। आवेदक नियमानुसार डीएलसी रेट से दुगनी राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.टि.एक्ट पेश कर निवेदन है कि आवेदन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया लाल रंग से व एबीसीडी अक्षर से बताये गये स्थान पर प्रार्थी को 30 फिट चौड़ा रास्ता अपनी खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए प्रतिपक्षीगण की भूमि मे दिलवाया जावे, राजस्व रिकार्ड मे उक्त रास्ते को अंकित किया जावे और शीट मे तरमीम की जोवें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से श्री अनिल भूरेटा ने यू. टी. ली परन्तु 7 तारीख पेशी तथा 6 महिने उपरान्त भी वकालतनामा व जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से तहसीलदार दूनी ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी ग्राम नगरफोर्ट के आ0ख0न0 1709, 1711 पर पहुंचने के लिये रास्ता चाहता है। प्रार्थी की आराजी पर पहुचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी को अपनी आराजी तक आने जाने हेतु ख0नं0 1696/2508, 1704, 1705 में से रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते विवरण निम्नानुसार है :–

क0स0	ख0नं0	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षैत्रफल वर्गमीटर में
1.	1696/2508	68	6	408 – सिवायचक
2.	1704	60	6	360

3.	1705	52	6	312
	कुल क्षैत्रफल			1080 वर्गमीटर

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 591503/– रूपयें प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 127762/– रूपयें होती है। प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1709, 1711 रकबा वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ख0नं0 1696/2508, 1704, 1705 में से रास्ता चाहता है, नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दिवार नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने के लिये सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जामबन्दी की प्रमाणित प्रतिया, संलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। पूर्व के प्रार्थना पत्र में सहवन से 20 फीट चौड़ा रास्ते का अंकन हो गया था जिसके लिए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सीपीसी पेश किया जिसको मन्जूर किया गया है। प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रा. पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी को 30 फीट रास्ते की सख्त आवश्यकता है। यद्यपि रिपोर्ट तहसीलदार में 6 मीटर की चौड़ाई के लिए ही आयी है जिसको संशोधित कर 30 फीट चौड़े रास्ते की प्रार्थना माननीय न्यायालय से है। प्रार्थी 30 फीट चौड़ाई अनुसार डीएलसी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है। तहसीलदार ने रास्ते बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, होना बताया है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनकी मूक सहमति है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड

रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है आराजी ख. नं. 1709 व 1711 वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी की इस खातेदारी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार चौड़ाई 6 मीटर के स्थान पर 9.144 चौड़ाई के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार सिवायचक ख. नं. 1696/2508 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 9.144 मीटर तथा लम्बाई 68 मीटर यानि क्षेत्रफल 68 X 9.144 = 621.792 वर्गमीटर, ख0नं0 1704 में चौडाई 9.144 मीटर एवं लम्बाई 60 मीटर यानि क्षेत्रफल 60 X 9.144 = 548.64 वर्गमीटर, ख0नं0 1705 में चौडाई 9.144 मीटर एवं लम्बाई 52 मीटर यानि क्षेत्रफल 52 X 9.144 = 475.488 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1645.92 वर्गमीटर रास्ते की भूमि की DLC दर 591503/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसकी 1645.92 वर्ग मीटर के लिए दुगुनी प्रतिकर राशि 194713/– रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली